अति0आवश्यक
<u>अवमानना प्रकरण</u>

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक– नर्सिग/नर्स–274–04926 पार्ट–2/2025 दिनांक–

श्री सुरेश कुमार वर्मा,
संयुक्त शासन सचिव (वित्त) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर ।

विषय– अवमानना संख्या 358/2024 इन एस.बी. सिविल रिट संख्या 5525 / 2002 निवाज से.नि. नर्सिग ऑफीसर बनाम सरकार व अन्यमें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2023 की पालना किये जाने के संबंध में

संदर्भ– निदेशालय का पत्र कमांक 593 दिनाक 16.08.2024, 615 दिनांक 27.08.2024 एवं 642 दिनांक 12.09.2024 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अवमानना संख्या 358/2024 इन एस.बी.सिविल रिट 5525/2002 श्री निवाज खान, से.नि नर्सिग ऑफीसर में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के पारित आदेश दिनांक 23.01.2023 में याची(निवाज खान) से.नि मेल नर्स द्वारा विदेश में दी गई सेवाओं को निरन्तर मानते हुये तदानुसार सेवानिवृत्ति व वेतन आयोग के परिलाभ दिये जाने के संबंध में पूर्व में प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को पत्रावली स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई थी जो आक्षेप के साथ प्राप्त हुई ।

प्रकरण मे पुनः प्रस्ताव तैयार कर मा. न्यायालय के आदेश की पालना किये जाने हेतु **निदेशालय की पत्रावली संख्या 74–04926** स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था । वर्तमान में पत्रावली आपके विभाग के स्तर पर विचाराधीन है । प्रकरण मा. न्यायालय में दिनांक **15.01.2025** को सूचीबद्व है । अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रकरण में आवश्यक स्वीकृति जारी करने का श्रम करे । ताकि मा. न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक– नर्सिग/नर्स–274–04926 पार्ट–2/2025 12794294 दिनांक– 03/01/25
प्रतिलिपि– निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर ।
4. निदेशक पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जयपुर ।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं केस प्रभारी अधिकारी जिला चिकित्सालय, ...
7. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय ।
8. डॉ. मनोज शर्मा, स्थाई केस प्रभारी अधिकारी निदेशालय, जयपुर मा. उच्च न्यायालय जयपुर ।

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2025.01.03 ...6 IST
Reason: Approved

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref No.: 12794294